

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 06.07.2018


आदेश

मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 485/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 की अनुपालना में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2018 के क्रम संख्या एक पर अंकित डा. अमित शर्मा, चिकित्सा अधिकारी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनला, पाली से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रघुनाथपुरा, डूंगरपुर किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए डा. अमित शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनला, पाली का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला चिकित्सालय, बांसवाडा में रिक्त पद पर किया जाता है।

उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से लोक हित में किया गया है। अतः इन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।


उक्त आदेश पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक : एफ.4(1)सशक्ति./विधि/पंरा/2018/814 दिनांक 16.06.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर/उदयपुर
- 5- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बांसवाडा
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
- 7- संबंधित अधिकारी
- 8- कम्प्यूटर सेल
- 9- निजी /रक्षित पत्रावली


शासन उप सचिव